न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 100/2025 (GCMS: 2025/108)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री मोहनलाल पुत्र श्री चौथराम उम्र 37 साल** जाति ओड़, निवासी **बस स्टैण्ड, नुरपुरा सादुलशहर (मोबाईल नम्बर 98281–97696)**
2. **फर्म/दुकान मजोका किरयाना स्टोर** नुरपुरा, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया, शामिल मिसल किया गया। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक दिनांक 06.03.2025 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच करने मजोका किरयाना स्टोर, नुरपुरा, सादुलशहर पहुंचे। मौके पर मोहनलाल पुत्र चौथराम उपस्थिति मिले, जिनकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर 07 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 04 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप पाये गये। जिन्हें मोहनलाल पुत्र चौथराम ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मोहनलाल ने पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान मजोका किरयाना स्टोर, नुरपुरा सादुलशहर, श्रीगंगानगर पर करता है। वक्त पूछताछ [illegible] पर मोहन लाल द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 07 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 04 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप, को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। इसलिए उससे जब्त किया गया उक्त 07 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 04 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप राजसात करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्राथी मोहनलाल ने बिना अनुमाति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उससे जब्त किया गया 07 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 04 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी मोहनलाल ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि प्रार्थी की दुकान में 7 लीटर पेट्रोल मय जरिकेन पाये गये थे और उक्त पेट्रोल पम्प पंजाब के पेट्रोल पम्प से लाना और दुकान पर बेचान बताया है, जो गलत है। प्रार्थी पेट्रोल का अवैध बेचान नहीं करता है। बल्कि उक्त पेट्रोल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये ही लाया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी दुग्ध सप्लाई का कार्य अपने मोटर साईकिल नम्बर आर जे 13 ए एस 5085 पर करता है। उक्त मोटर साईकिल प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर से अधिक रोजाना चलाता है। प्रार्थी दूर दराज क्षेत्र मे दुग्ध सप्लाई के कार्य के लिए जाना पड़ता है, इसलिए उक्त 7 लीटर पेट्रोल प्रार्थी के वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपयोग में लेने के लिए ही खरीद किया गया था। प्रार्थी अपनी दुकान पर ना तो पेट्रोल किसी को विक्रय करता है और ना ही भण्डारण करता है तथा उक्त पेट्रोल का व्यक्तिगत कार्यो के लिए खरीद किया है, इसलिए उसके विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत दाखिल दफ्तर फरमाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा जवाब में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 06.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ टीम मजोका किरयाना स्टोर, नुरपुरा सादुलशहर पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने पूछने पर उसने अपना परिचय मोहनलाल पुत्र श्री चौथराम बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 07 लीटर पेट्रोल मय जरिकेन, 04 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप पाये गये। मौके पर पूछताछ पर मोहनलाल द्वारा पेट्रोल बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल बेचान के कारण 07 लीटर पेट्रोल मय जरिकेन, 04 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप को जब्त किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **अप्रार्थी** द्वारा पेट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02(थ), 03(4), 04** का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से अप्रार्थी से जब्तशुदा 07 लीटर पेट्रोल मय जरिकेन, 04 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है तो यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 07 लीटर पेट्रोल को बेचान करने के कारण जब्त की गई है। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र/बिल या अन्य अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी मोहनलाल पेट्रोल **अवैध रूप से बेचान के कार्य में लिप्त है।**

यह सही है कि सम्बन्धी पक्षों को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों (clean hand) से हीं आना चाहिए जो पक्षकार न्यायालयों में स्वच्छ हाथों (clean hand) से नहीं जाते है वे किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हो सकते है। अप्रार्थी से 07 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री उसकी फर्म/दुकान मजोका किरयाना स्टोर, नुरपुरा जब्त की गई है जिसे वह अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बताया रहा है। फर्म/दुकान मजोका किरयाना स्टोर, नुरपुरा पर अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल बेचान करते पाया गया है, जो साबित करता है कि अप्रार्थी मोहनलाल अवैध पेट्रोल के बेचान के कार्य में लिप्त है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 30 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है, इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति का होना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी मोहनलाल द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति न होने के बावजूद भी पेट्रोल का विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी मोहनलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:14 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

और उसकी फर्म/दुकान मजोका किरयाना स्टोर, नुरपुरा अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 07 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1), मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 02(थ), 3(4), 04 के प्रावधानों की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 07 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात किये जाते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 07 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 07 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर